सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00026

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 07/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
   फर्म—मै0 प्रेम डेयरी ,दुकान नम्बर —02, अरोडवंश मार्केट,श्रीगंगानगर
   निवासी :— 24 बी, चहल चौंक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजकुमार पुत्र लाधुराम — होलसेलर—
   फर्म—मै0 राज ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नं.107, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर
   निवासी :— 3—1—10, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
3. सत्यप्रकाश अग्रवाल —निदेशक निर्माता फर्म—
   फर्म—Kailash Dairy Limited, Rithani , Delhi Road, Distt. Meerut (UP)-250002
4. विजेन्द्र कुमार अग्रवाल —निदेशक निर्माता फर्म—
   फर्म— Kailash Dairy Limited, Rithani , Delhi Road, Distt. Meerut (UP)-250002

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/52 एव क्रम संख्या 1. नमूना विक्रेता पर धारा 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 20.07.2020

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को दोपहर 02.00 बजे श्री संदीप जाखड़, कनिष्ठ सहायक , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 प्रेम डेयरी, दुकान नम्बर—02, अरोड़वंश मार्केट, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली उम्र—56 वर्ष उपस्थित मिला,जिसने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर डेयरी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त डेयरी में 15 किलोग्राम **Desi Ghee (Kailash Premium)** युक्त 31 टिन के सील्ड पीपे आमजन को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच **K-979** के नमूनीकरण की सूचनार्थ विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति प्रदान कर विक्रेता को बताया कि **Desi Ghee (Kailash Premium)** का यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर नमूना विक्रेता श्री जवाहरलाल एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं मैने हस्ताक्षर किए। मौके पर रखे **Desi Ghee (Kailash Premium)** का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत नियमानुसार एवं विधिपूर्वक नमूनीकरण करने के लिए **Desi Ghee (Kailash Premium)** युक्त एक सील्ड पीपे के उपरी ढक्कन में छेद करके 800 ग्राम **Desi Ghee (Kailash Premium)** नमूना संख्या **K-979** के नमूनीकरण के लिए खरीदा जिसकी कीमत 360/–रूपये (अखरे तीन सौ साठ रूपये) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहान श्री संदीप जाखड एवं शिवरतन के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Desi Ghee (Kailash Premium)** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर मात्रा में भरकर ढक्कन बन्द किया एवं टेप चिपकाकर चार नमूना भाग बनायें। चारो प्लास्टिक बोतलो पर अलग–अलग खाद्य नमूना कोड का अनुक्रमांक **K-979** एवं अन्य विवरण युक्त लेबल चिपकाया और इन पर नमूना के विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर मैने भी हस्ताक्षर किए। साथ ही पीपे के लेबल की फोटो कापियों सहित प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–979 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। नमूना के चौथे सीलबंद भाग के बारे में नमूना विक्रेता को यह बताकर कि वह चाहे तो इस भाग की जांच किसी अधिसूचित NABL प्रयोगशाला से जांच करवा सकता है। इसके पश्चात चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। शेष बचे **Desi Ghee (Kailash Premium)** के सभी पीपों को विक्रय प्रतिबंधित कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाकर दिया गया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1821/एक्ट/2019/1351 दिनांक 20.08.2019 स्तर (Misbranded) होना पाया गया। इस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल पोपली निवासी 24 बी, चहल चौंक, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Desi Ghee (Kailash Premium)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/52 एव क.स.1 नमूना विक्रता पर धारा 31(2)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तों को तलब किया गया। अभियुक्तों को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो मिस ब्रांडिग का आरोप प्रस्तुत किया है उक्त आरोप अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। उक्त नमूनें की जांच प्रयोगशाला भेजे गये, जहां पर प्रयोगशाला में उक्त नमूनें का सैम्पल सही पाया गया, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई, परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट में मिस ब्रांडिग का कथन किया है। उक्त अभिकथन विधि द्वारा पोषणीय नहीं है ना ही मिस ब्रांडिग की परिभाषा में आता है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 को जो मिस ब्रांडिग की रिपोर्ट होना बताकर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें यह अंकित किया है कि जो डिब्बा के उपर कार्टून था उस पर उक्त उत्पाद को उपयोग करने की दिनांक **Nine month from the date of packing** अंकित किया है। उक्त शब्द छोटे लिखे गये है जबकि बड़े लिखे जाने चाहिए थे तथा न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित नहीं होना अंकित किया है यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि उक्त देशी घी के बाहर जो कार्टून की पैंकिंग है उक्त पैंकित केवल मात्र देशी घी के डिब्बें को ट्रांसपोटेशन में सुरक्षित रखने हेतु की जाती है और देशी घी के पीपे पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समस्त इन्द्राजात सही है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी सही पाये गये है जहां तक कार्टून के लेबल की बात है कार्टून के लेबल के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उक्त मिस ब्रांडिग का उक्त निष्कर्ष पोषणीय नहीं है। न्यूट्रीशन वैल्यू घी के कार्टून पर नहीं होना अंकित किया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई तथ्य ज्ञान होने के बावजूद भी केवल मात्र उन्ही कार्टून की फोटो भेजी है जिसमें न्यूट्रीशन वैल्यू अंकित नहीं थी जबकि घी के टीन जिसे कार्टून से बाहर निकालकर ही विक्रय किया जाता है और जो विक्रय के लिए बिना कार्टून से प्रर्दशित थे उनके सम्बन्ध में लैश मात्र भी अंकित नहीं किया और अन्य कार्टून जिन पर न्यूट्रीशन वैल्यू अंकित थी उनकी फोटो नहीं लिये गये जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 71 कार्टून घी के दर्शाये है जबकि फोटो मात्र 1 कार्टून की फोटो लगाई है वो भी घी के टीन की फोटो नहीं लगाई गई है। जिस कॉर्टून को मिस ब्रांडिग बताकर उक्त रिपोर्ट दी गई है, उक्त रिपोर्ट भी सही नहीं है इसका कारण यह है कि कम्पनी द्वारा कार्टून पर भी सही रूप से इन्द्राज किये गये है, कोई छोटे अक्षरों में इन्द्राज नहीं किया बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट के लिए दस्तावेंज सैम्पल के लिए भेजा था उसमें लेबल की फोटो कॉपी भेजी थी, फोटो कॉपी का अवलोकन करने से किसी प्रकार से शब्दों का छोटा होना या बड़ा होना सुनिशिचित नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह अनिवार्य है कि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिस वस्तु की जांच प्रयोगशाला से करवाई जा रही है उक्त वस्तु प्रयोगशाला में भेजी जानी अनिवार्य है। हस्तगत मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फोटो प्रति भेजी इसलिए उसके द्वारा जो प्रकिया अपनायी गई है वह विधि मान्य नहीं है ना ही उक्त फोटो कॉपी पर आयी रिपोर्ट विधि मान्य है ऐसी अवस्था में अनावेदकगण के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद व दस्तावेजों का अवलोकन करने से किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नही होता है ऐसी अवस्था में उक्त परिवाद का दाखिल दफतार फरमाया जावें और अनावेदक का जब्तशुदा घी उन्हें लौटायें जाने का आदेश पारित किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Desi Ghee (Kailash Premium)** का सैम्पल के–979 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1821/एक्ट/2019/1351 दिनांक 20.08.2019 द्वारा (Misbranded) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/52 एव क्र. स.1 नमूना विक्रता पर धारा 31(2)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो मिस ब्रांडिग का आरोप प्रस्तुत किया है उक्त आरोप अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। उक्त नमूनें की जांच प्रयोगशाला भेजे गये, जहां पर प्रयोगशाला में उक्त नमूनें का सैम्पल सही पाया गया, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गई, परन्तु उनके द्वारा रिपोर्ट में मिस ब्रांडिग का कथन किया है। उक्त अभिकथन विधि द्वारा पोषणीय नहीं है ना ही मिस ब्रांडिग की परिभाषा में आता है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 28.08.2019 को जो मिस ब्रांडिग की रिपोर्ट होना बताकर उक्त परिवाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें यह अंकित किया है कि जो डिब्बा के उपर कार्टून था उस पर उक्त उत्पाद को उपयोग करने की दिनांक **Nine month from the date of packing** अंकित किया है। उक्त शब्द छोटे लिखे गये है जबकि बड़े लिखे जाने चाहिए थे तथा न्यूट्रेशन वैल्यू अंकित नहीं होना अंकित किया है। देशी घी के पीपे पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समस्त इन्द्राजात सही है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी सही पाये गये है जहां तक कार्टून के लेबल की बात है कार्टून के लेबल के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उक्त मिस ब्रांडिग का उक्त निष्कर्ष पोषणीय नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद व दस्तावेजों का अवलोकन करने से किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नही होता है । अतः ऐसी अवस्था में उक्त परिवाद का दाखिल दफतार फरमाया जावें एवं जब्तशुदा घी उन्हें लौटायें जाने का आदेश पारित किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2020/00026

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है तथा नमूना विक्रेता नमूनीकरण एवं निरीक्षण के समय उचित खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) की उल्लधंन है और जुर्माने योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अभियुक्त जवाहरलाल पुत्र श्री मदनलाल नमूना विक्रेता एवं मालिकं, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री कृष्णलाल होलसेलर एवंम देवेश कुमार रावल वगैरा निदेशक निर्माता फर्म–पर Section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act,2006 के तहत **Desi Ghee (Kailash Premium)**का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/52 एव क.स.1 नमूना विक्रता पर धारा 31(2)/58 के तहत 4000X4= 16000/–रूपये (अखरे रूपये सोलह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Desi Ghee (Kailash Premium)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जब्तशुदा **Desi Ghee (Kailash Premium)** की सुपुर्दगी एवं अप्रार्थीगण के परिसर की सुपुर्दगी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर पालना से तीन दिवस में अवगत करावें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Desi Ghee (Kailash Premium)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े! इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर